

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 211/2020 प्रा0पन

1. श्री मदन सिंह पिता धूमल सिंह जाति राजपूत नि0 मात्वाण, तह0 करेडा  
-चान्द खार पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत नि0 मात्वाण, तह0 करेडा  
—प्रार्थी।

वनाम

1. श्री चैन सिंह पिता गैदा सिंह जाति राजपूत नि0 मात्वाण, तह0 करेडा  
—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 11/01/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मात्वाण पटवार हल्का लाहुवाण नि0 क्षेत्र लाहुवाण में उनके खाता संख्या 288, 289 की आ0न0

239 340 341 517 519 1629/330  
0-8600 हेक्टर 0-3035 हेक्टर 0-2150 हेक्टर 0-0126 हेक्टर 0-2100 हेक्टर स्थित है।

रास्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा में विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29/12/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मात्वाण पटवार हल्का लाहुवाण भू0आ0नि0 क्षेत्र लाहुवाण में उनके खाता संख्या 288, 289 की आ0न0

239 340 341 517 519  
0-8600 हे० 0-3035 हे० 0-2150 हे० 0-0126 हे० 0-2100 हे०  
1629/330 कुल 6.7452 हे० भूमि स्थित है।

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 लाहुवाण को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व सीमा की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

अतः :-प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेडा (जिला भीलवाडा)

तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाडा)